न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 187/2013

वादीगणः–

1. मोटाराम पुत्र श्री मांगाराम फौत के कायम मुकाम
   1/1 राजुराम पुत्र श्री मोटाराम, उम्र 34 वर्ष
   1/2 जेठाराम पुत्र श्री मोटाराम उम्र 11 वर्ष नाबा.
   जरिये कुदरती वली माता श्रीमती समदु
   1/3 श्रीमति समदु पत्नी श्री मोटाराम, उम्र 60 वर्ष
2. गुमाराम पुत्र श्री मांगाराम

   जाति मेघवाल निवासी बापिणी, तहसील ओसियां

   जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. सुरजाराम पुत्र श्री बोराराम
2. बाबूराम पुत्र श्री बोराराम
3. खेतू पत्नी श्री बोराराम
4. भीखाराम पुत्र श्री दुलाराम
5. विशाल पुत्र श्री दुलाराम
6. गंगाराम पुत्र श्री दुलाराम
7. गेपरराम पुत्र श्री दुलाराम
8. उषा पुत्री श्री दुलाराम
9. सुखी पत्नी श्री दुलाराम
10. चम्पा पत्नी श्री भीयाराम
11. नेनू पुत्री श्री भीयाराम
12. ज्योति पुत्री श्री भीयाराम
13. जतकी पुत्री श्री भीयाराम
14. इमली पुत्री श्री भीयाराम
15. गिरकी पुत्री श्री भीयाराम

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

16. गुडी पुत्री श्री भीयाराम
समस्त जातियान मेघवाल, निवासी बापिणी
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
17. तहसीलदार तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

उपस्थित –

वादीगण – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।
प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 10, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी।

निर्णय

दिनांकः– 15/1/19

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बापिणी खुर्द में खसरा नम्बर 513 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 518 रकबा 07 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी एवं खसरा नम्बर 925 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है। इसके अलावा ग्राम कड़वा में खसरा नम्बर 289 रकबा 52 बीघा 07 बिस्वा भूमि आई हुई है। जिसके बाबत् वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें एवं 1/2 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 से 16 को खातेदार घोषित किया जावें।

यह है कि उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 10 व 12 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। अन्य के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई।

यह है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 10 व 12 द्वारा एक लिखित राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने मिल बैठकर लोक अदालत की भावना से उपरोक्त प्रकरण में राजीनामा कर लिया है जिसमें मुख्य रूप से यह शर्त रखी है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 518 रकबा 07 बिस्वा मौजा ग्राम बापिणी वर्तमान ग्राम बापिणी खुर्द, खसरा नम्बर 925 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा ग्राम बापिणी के राजस्व रेकर्ड में मांगाराम का नाम दर्ज है। जिनका 1/3 हिस्सा

सहायक कलेक्टर, ओसियां

है, उसके स्थान पर वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा रहेगा तथा अन्य खातेदारान का राजस्व रेकर्ड में जो नाम दर्ज है उनका संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा रहेगा तथा ग्राम कड़वा की भूमि में वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार वादीगण को ग्राम बापिणी खुर्द व ग्राम बापिणी की भूमि में मांगाराम के स्थान पर 1/3 हिस्से के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर 1/3 हिस्सा अलग किया जाता है तो हम वादीगण व प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का एतराज नहीं रहेगा तथा इसी अनुसार उपरोक्त वाद का निर्णय व डिक्री करवाना चाहते है।

यह है कि उपरोक्त राजीनामा को तस्दीक किया गया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता घेवरराम ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 10 व 12 की पहचान श्री पर्वतसिंह भाटी द्वारा की गई। अन्य प्रतिवादी संख्या 4 से 9, 11 व 13 से 16 के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई जा चुकी है।

अतः वाद वादीगण राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 518 रकबा 07 बिस्वा मौजा ग्राम बापिणी वर्तमान ग्राम बापिणी खुर्द, खसरा नम्बर 925 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा ग्राम बापिणी में वादीगण को खातेदार मांगाराम के स्थान पर उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्से के रूप में व अन्य खातेदारान को 2/3 हिस्से के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी आशय का डिगरी पर्चा जारी हो तथा निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 15/1/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसिया

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी

डिगरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑडर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मोटाराम के कायम मुकाम		सुरजाराम वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

वाद संख्या:– 187/13

वाद वादीगण राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 518 रकबा 07 बिस्वा मौजा ग्राम बापिणी वर्तमान ग्राम बापिणी खुर्द, खसरा नम्बर 925 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा ग्राम बापिणी में वादीगण को खातेदार मांगाराम के स्थान पर उपरोक्त भूमि में 1/3 हिस्से के रूप में व अन्य खातेदारान को 2/3 हिस्से के रूप में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी आशय का डिगरी जारी की जाती है तथा निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो।

निज.................................... मुबलिग..बाबत्............................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.. को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/1/19...... को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner